उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3

संख्या–1699/8–3–2009–73विविध/2007

लखनऊ : दिनांक: 18 मई, 2009

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित विकास प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के विकास क्षेत्र में स्थित नगरों की महायोजना में तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) में संशोधन करने के सम्बंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की एक सूचना दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के दिनांक 27.2.2009 के अंक में तथा "अमर उजाला" के दिनांक 26.2.2009 के अंक में प्रकाशित की गयी थी,

और चूंकि उपर्युक्त सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है, अतएव अब उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित) अधिनियम,1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा–13 की उपधारा–(2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त नगरो की महायोजना में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अधिसूचना संख्या–5136/8–3–2008–11विविध/2008, दिनांक 25.9.2008 के अनुसार नगरीय क्षेत्रों की आवश्यकता को देखते हुए नये/अविकसित क्षेत्रों में 5 स्टार व उससे अधिक स्टार के होटल हेतु 2.50 एफ.ए.आर. अनुमन्य किया गया है। आगामी कॉमन वेल्थ गेम–2010 की आवासीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत (विकास प्राधिकरण–गाजियाबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, मेरठ, हापुड़–पिलखुआ तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद) नये/अविकसित क्षेत्रो के साथ ही विकसित क्षेत्रों में भी 2.50 एफ.ए.आर. तथा क्रय योग्य एफ.ए.आर. निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य/संशोधन करते हैं:–

(1) बढ़े हुए एफ.ए.आर. की सुविधा सम्पूर्ण एन.सी.आर. क्षेत्र में स्थित विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद के अधिसूचित क्षेत्रों में दिनांक 31.3.2009 तक अनुमन्य होगी, क्योंकि कॉमन वेल्थ गेम्स–2010 के दृष्टिगत आवासीय भूखण्डों में गेस्ट हाउस की अनुमन्यता के सम्बंध में शासनादेश संख्या–5766, दिनांक 28.11.2008 द्वारा गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.3.2009 निर्धारित की गयी है। उक्त तिथि शासनादेश संख्या–1008/8–3–2009–73विविध/2007 टी.सी., दिनांक 28.2.2009 द्वारा दिसम्बर, 2009 तक बढ़ा दी गयी है।

(2) 2.50 एफ.ए.आर. तथा क्रय योग्य एफ.ए.आर. की अनुमति हेतु वर्तमान में इन्फ्रास्ट्रक्चर विशेषकर न्यूनतम 30 मी. चौड़े विद्यमान मार्ग से पहुँच की सुविधा तथा बढ़े हुए एफ.ए.आर. के सापेक्ष जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज एवं विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

(3) वर्तमान में प्रभावी नियमों/उपविधि के अनुसार सेटबैक, पार्किंग की अपेक्षाएं पूर्ण करने तथा नियमानुसार स्ट्रक्चरल सेफ्टी/भूकम्परोधी प्राविधान एवं फायर सेफ्टी व्यवस्थायें अनिवार्य होंगी।

(4) इस सुविधा की पात्रता हेतु कॉमन वेल्थ गेम्स–2010 प्रारम्भ होने से पूर्व निर्माण कार्य पूर्ण कर सक्षम स्तर से पूर्णता प्रमाण पत्र (कम्पलीशन सार्टिफिकेट) प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा निर्मित भवन का उपयोग होटल के प्रयोजनार्थ किया

जायेगा यदि कॉमन वेल्थ गेम्स 2010 के आयोजन तक स्वीकृत निर्माण पूर्ण नहीं होता है तो बढ़े हुए एफ.ए.आर. की सुविधा स्वतः समाप्त मानी जायेगी एवं स्वीकृत मानचित्र निरस्त समझे जायेंगे।

श्री कृष्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या–1699(1)/8–3–2009–73विविध/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकी मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे दिनांक .... मई, 2009 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित करायें तथा इसकी 50 मुद्रित प्रतियां इस अनुभाग को तथा नीचे अंकित अधिकारियों को 05–05 मुद्रित प्रतियां उन्हें सीधे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एच.पी.सिंह)
अनुसचिव।

संख्या–1699(2)/8–3–2009–73विविध/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
2– उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण– गाजियाबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, मेरठ, हापुड–पिलखुआ
3– आयुक्त एन.सी.आर.सेल, नगर निगम भवन, गाजियाबाद।
4– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5– अपर निदेशक, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ कि इसे आवास विभाग के आगामी शासनादेशों के संकलन में समावेशित करने तथा विभाग की बेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एच.पी.सिंह)
अनुसचिव।